

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठारीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या नं 73/2024

1 जगमाल पुत्र कालू उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.)

2 बनारसी पत्नी स्व. रामकुमार सिंह, जाति जाट, उम्र 72 वर्ष, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.)

3. महेन्द्र पुत्र स्व. रामकुमार सिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.)

आवेदकगण

बनाम

1 किरोडीमल पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.)

2 सुरजी पत्नी श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.)

3. सरोज पुत्री स्व. रामकुमार सिंह पत्नी सुखदेव, उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू हाल निवासी ग्राम क्यामसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)

4. इन्द्रा पुत्री स्व. रामकुमार सिंह पत्नी स्व. जयकरण, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू हाल निवासी ग्राम भीखनसर तहसील बिसाऊ, जिला झुझुनू (राज.)

5 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक

6. राजस्थान सरकार भूमिधारी, जरिये तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू (राज.)

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

अभिभाषक:-

आवेदक पक्ष:- श्री विजय सिंह शेखावत

अनावेदक पक्ष:- श्री विनोद गिल

निर्णय दिनांक 14.07.2025

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक भूमि हाल खसरा नं. 259, 260/527, 32, 33, 34, 341, 342, 363, 369, 371, 454, 455, 456 कुल किता 13 कुल रकबा 10.55 हैक्टर भूमि सरहद राजस्व ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू में स्थित है जो आवेदकगण व अनावेदक सं. 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। भूमि हाल खसरा नं. 258, 331, 375, 376, 376, 380, 397 कुल किता 4 कुल रकबा 11.69 हैक्टर भूमि सरहद राजस्व ग्राम मीठवास, तहसील मण्डावा, जिला झुझुनू में स्थित है जो अनावेदक सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। भूमि खसरा नं. 258 के उत्तरी दिशा से एक पुख्ता डामर सड़क जो ग्राम मीठवास से गढ़वालों की ढाणी, तेतरा जाने वाली अवस्थित है। भूमि खसरा नं. 258 के उत्तरी पूर्वी कोने से पूर्वजों के समय से एक कदीमी रास्ता भूमि खसरा नं. 258 की पूर्वी सीमा से होते हुये भूमि खसरा नं. 259 के

उत्तरी पूर्वी कोने तक अवस्थित है जो रास्ता आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर नजरी नक्शा में कोटेड लाईन व मार्क ए से बी के रूप में दर्शित है। आवेदकगण अपनी खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नं. 259 में आवागमन भूमि खसरा नं. 258 के उत्तरी पूर्वी कोने से पूर्वी दिशा में सीव के सहारे सहारे से करते हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आवेदकगण के आवेदन पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 259 में काश्त के लिये किसी भी प्रकार का कोई चालू/प्रचलित रास्ता और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता स्थित नहीं है। आवेदकगण को आवेदकगण की प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित खालेदारी भूमि से काश्त के लिये कोई रास्ता नहीं होने से आवेदकगण को स्वयं की खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। आवेदकगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 259 की भूमि में आने जाने के लिये नजदीक का रास्ता प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 के वर्णित अनुसार है। आवेदकगण द्वारा चाहा गया नजदीकी रास्ता आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी दर्शित है। आवेदक उक्तानुसार आवेदकगण की खातेदारी के खेत में काश्त करने के लिये अनावेदकगण सं. 1 व 2 के खेत में से 15 फीट की चौड़ाई का रास्ता कटानी दर्ज करवाना चाहते हैं। आवेदकगण ने आवेदन पत्र की मद सं. 3 में वर्णित जमीन में प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता के रूप में दर्ज करवाने की मनावेदक से 1 व 2 से की तो अनावेदकगण सं. 12 ने कहानी रास्ता दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया। आवेदकगण ने अनावेदक से 1 व 2 को खेत खसरा नं. 258 में से रास्ते के बदले डी एल सी रेट की दुगुनी राशि अदा करने का भी प्रस्ताव दिया था व आवेदकगण आज भी अनावेदक सं. 1 व 2 को रास्ते की जमीन के बदले डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि देने को तैयार है। आवेदकगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। आवेदकगण के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदकगण के खेत में आने जाने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता आवेदन पत्र की मद सं. 3 में वर्णित नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी है। उक्तानुसार ही आवेदकगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत गैर मुमकिन कटानी रास्ता दर्ज करवाने के आवेदकगण कानूनन हकदार है। आवेदकगण रास्ते की भूमि के बदले नियमानुसार निर्धारित शुल्क अथवा डी.एल.सी. रेट से दुगुनी राशि अनावेदक सं. 1 व 2 को अदा करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि आवेदक सं. 2 व 3 तथा अनावेदक सं. 3 व 4 की पैतृक खातेदारी की भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में उनके पूर्वज रामकुमार के नाम दर्ज है जिसका वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड भुक्त रामकुमार के नाम ही दर्ज चला आ रहा है। अनावेदक सं. 3 व 4 जिव मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनको प्रार्थना पत्र में बत अनावेदक पक्षकार संयोजित किया गया है। मौजूदा आवेदन पत्र के लिये वाचकारण दिनांक 19.08.2024 को तब पैदा हुआ जब अनावेदक सं. 1 व 2 ने आवेदकगण को आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 259 में अपने खेत खसरा नं. 258 में से आने जाने व कटानी रास्ता दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया। तब वादकारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो आवेदन पत्र का ही भाग है जिसे आवेदन पत्र के साथ ही पढ़ा जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को निम्न अनुतोष प्रदान किया जावे रु—

(क) यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 में वर्णित अनुसार / आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी 15 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज करने का आदेश अनावेदक सं. 6 को दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरूरी सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उत्तर एतराज हो तो उत्तर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट छाही गई। अनावेदक संख्या 03 लगायत 05 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल लायी गई। अनावेदक संख्या 01 लगायत 02 की ओर से अभिप्रायक उपस्थित। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 की जबाब की आवश्यकता नहीं है। जमाबन्दी सलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 के जबाब की आवश्यकता नहीं है जमाबन्दी सलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में कथन है कि ख.न. 258 के उत्तर में पुरब- पश्चिम ग्राम भीठवास से गढ़वालो की ढाणी जाने वाली सड़क स्थित है। यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि भूमि ख.न. 258 के उत्तरी पूर्वी कोने से पूर्वजों के समय से एक कदीमी रास्ता भूमि ख.न. 258 के पूर्वी सीमा से होते हुये भूमि ख.न. 259 के उत्तरी कोने से स्थित है ए. से बी. कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ए. से बी. ना तो पहले कभी रास्ता था ना अब रास्ता है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है। ख.न. 258 के अन्दर से कभी भी कोई रास्ता ख.न. 259 के खातेदार का नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 जिस प्रकार लिखी है सही नहीं है। ख.न.259 के खातेदार ख.न. 253 व 543/253 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे. से ख. तक प्रचलित रास्ता से फिर ख.न. 231 से अपने खेत में हमेशा से जाता रहा है। क, ख, ग हमेशा से प्रचलित रास्ता रहा है उसी रास्ते का उपयोग उपभोग ख.न. 259 का खातेदार करता था ख. न. 259 के वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा निकटतम दुरी का भी वही रास्ता है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 जिस प्रकार लिखी है सही नहीं है। ख.न. 259 का हमेशा से रास्ता क, ख, ग रहा है। क. से ख. तक रास्ता वर्तमान में मौजूद है ख. से ग. रास्ता ख.न. 259 के खातेदार ने स्वयं बन्द करवाया है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। आवेदकगण के वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा निकटतम दुरी का भी वही है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 अस्वीकार है ए. से बी. कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ख.न. 259 का खातेदार ए. से बी. रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 9 अस्वीकार है। आवेदकगण के वैकल्पिक रास्ता लगता है। आवेदकगण को आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है ख. से ग. निकटतम दुरी है। आवेदकगण ए. से बी. रास्ते की मांग गलत कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है आवेदकगण ए. से बी. रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं. 11 के जबाब की आवश्यकता नहीं है। कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 12 अस्वीकार है। ख.न. 258 में से कभी भी आवेदकगण का कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही ए से बी रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद नं 13 अस्वीकार है नजरी नक्शा गलत पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 14 कानूनी है। क.ख यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 15 क, ख. अस्वीकार है। आवेदकगण ए. से बी. रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतिरिक्त उत्तर- यह कि आवेदकगण ख.न. 253, 543/253 व ख.न. 231 में से क, ख, ग से हमेशा अपने खेत में जाते रहे हैं क. से ख. में वर्तमान में भी रास्ता मौजूद है ख. से ग. का रास्ता आवेदकगण ने स्वयं ने बन्द करवा रखा है। आवेदकगण को अत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण के वैकल्पिक रास्ता मौजूद है निकटतम दुरी ख. से ग. है। इसलिये आवेदकगण ए. से बी. रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र का जबाब पेशकर निवेदन है वि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश प्रार्थी ने मौके पर बताया भूमि ख.न. 258 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे मुख्य सड़क ख.न. 268 तक जाने हतु

रास्ता घाटा गया है जिसकी लम्बाई मुख्य सड़क से ख.न. 259 के उत्तरी पूर्वी कोने तक 98 मीटर है। अप्राथी किरोड़ी ने बताया की प्रार्थीगण अपने ख. न. 259 में जाने के लिए ख.न. 256,253, 543/253 के पूर्वी सहारे सहारे व 231 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे जाते थे। जिसकी कुल लम्बाई 180 मीटर है। मौके पर ख.न. 259 में पहुंच के लिए कोई मार्ग नहीं है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। जवाब में अनावेदक पक्ष अभिभाषक के कथन किया कि कि प्रार्थी के पास पूर्व से अपने ख. न. 259 में जाने के लिए ख.न. 256,253, 543/253 के पूर्वी सहारे सहारे व 231 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ता उपलब्ध है। जो मौके पर चालू है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" — और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि —

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

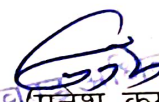
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 259 में पहुंच कोई स्थायित्व(Durability) मार्ग मौजूद नहीं है। जो तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट से स्पष्ट है। आवेदक के खेत ख.न. 259 में पहुंच बाबत खसरा न. 258 में से निकटतम दुरी पर है। प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न.259 में आने-जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 258 में उत्तरी पूर्वी कोने तक रास्ते की लम्बाई 98 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुनेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा